

सेवा में,

प्रमुख सचिव (वन),
उ०प्र० शासन,
वन एवं वन्य जीव, अनुभाग-2,
लखनऊ।

विषय:- बहराइच वन प्रभाग के अर्न्तगत एन०एच०-730 के किमी० 248.400 से किमी० 280.000 तक (बहराइच-श्रावस्ती सेक्शन) मार्ग चौड़ीकरण परियोजना हेतु 20.072 हे० संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं बाधक 2320 वृक्षों के पातन तथा श्रावस्ती वन प्रभाग के अर्न्तगत एन०एच०-730 (बहराइच-बलरामपुर मार्ग) के किमी० 280 से 310 के मध्य मार्ग चौड़ीकरण हेतु प्रभावित 14.991 हे० संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं बाधक 2322 वृक्षों के पातन, अर्थात् कुल 35.063 हे० संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं बाधक कुल 4642 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

संदर्भ:- भारत सरकार का पत्रांक-8बी/यू०पी०/06/61/2017/एफ०सी०/517, दिनांक-13.10.2017 एवं उत्तर प्रदेश शासन का पत्रांक-भा०स० 253/14-2-2017-800(94)/2016, दिनांक-18.10.2017

महोदया,

उपरोक्त संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने की कृपा करें। भारत सरकार के उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के द्वारा विषयांकित प्रकरण में वांछित, वन अधिकार अधिनियम 2006 के अंतर्गत जनपद बहराइच व श्रावस्ती का संशोधित जिलाधिकारी का प्रमाण पत्र वन संरक्षक, देवीपाटन वृत्त, गोण्डा ने अपने पत्रांक-1869/11-सी, दिनांक-07.11.2017 द्वारा इस कार्यालय को प्रेषित किया है। अतः उक्त पत्र की छायाप्रति सहित मूल में जिलाधिकारी का प्रमाण पत्र इस अनुरोध के साथ प्रेषित किया जा रहा है कि कृपया विषयांकित प्रकरण में आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्नक:-यथोक्त।

भवदीय
(डा० प्रशान्त कुमार वर्मा)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।

संख्या- 1309 /11-सी-FP/UP/Road/18934/2016, दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक (केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, मध्य क्षेत्र, अलीगंज, लखनऊ को उनके संदर्भित पत्र के क्रम में जिलाधिकारी का मूल प्रमाण पत्र संलग्न कर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. वन संरक्षक, देवीपाटन वृत्त, गोण्डा।
3. प्रभागीय वनाधिकारी, श्रावस्ती एवं बहराइच।
4. अधिशाषी अभियन्ता, रा०मा० खण्ड, लो०नि०वि०, लखनऊ।

(डा० प्रशान्त कुमार वर्मा)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।